न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

प्र.सं. 47/2022 जीसीएमएस : 2022/158
चन्द्रकान्ता शर्मा पत्नी सन्दीप कुमार पुत्री निकूराम जाति ब्राहमण निवासी हाऊस नं. 100, डी ब्लॉक, वार्ड नं. 8, गजसिंहपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.

बनाम

सरकार राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

अन्तर्गत धारा 88,89,209 आर.टी.एक्ट. एवं 136 एल.आर.एक्ट

05.07.2022

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी वादी की ओर फार्म नं. 3 के साथ रू 50/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पत्र पर निकूराम के वारिसान द्रोपती देवी, लक्ष्मी देवी, मन्जू देवी, उर्मिला पारीक का शपथ पत्र बाबत कान्ता एवं चन्द्रकान्ता एक ही महिला के नाम हैं, कान्ता के स्थान पर चन्द्रकान्ता शर्मा दर्ज किया जाता हैं तो उन्हें कोई एतराज नहीं हैं का प्रस्तुत किया। वकील वादी निवेदन किया कि विरास्तन भूमि दर्ज करवाते समय संहवन से वादी का नाम कान्ता नाम दर्ज करवा दिया गया जबकि वादी का वास्तविक नाम चन्द्रकान्ता शर्मा ही हैं। जिसकी दुरूस्ती आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि वादीया के पिता निकूराम पुत्र अमरचन्द जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं. 8, गजसिंहपुर के नाम से चक 21/23 एनपी के खाता सं. 23 के मु.नं. 42 कि.नं. 1/1 में 0.126, 10–11 सालम, 15 ता 20 सालम, 21 ता 25 प्रत्येक0.228 कुल 3.290है. बारानी भूमि संयुक्त खाता में दर्ज थी। निकूराम की मृत्यु दिनांक 16.02.2014 के बाद उनके वारिसान आसी देवी(माता), द्रोपती देवी(पत्नी), लक्ष्मी देवी, चन्द्रकान्ता, मन्जू देवी, उर्मिला देवी (पुत्रियां) तत्पश्चात आसी देवी की मृत्यू उपरान्त उपरोक्त भूमि के संदर्भ में वादीया के चाचा प्रेमराज द्वारा विरास्तन इंतकाल के समय इनका वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 27.05.2018 में वादीया का नाम कान्ता दर्ज करवा दिया। इसी अनुरूप इंतकाल दर्ज होकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में कान्ता नाम दर्ज हो गया। निर्णय एवं डिक्री फरमाकर विवादित भूमि के संयुक्त खातेदार के रूप में वादीया का नाम कान्ता के स्थान पर चन्द्रकान्ता अंकित करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में तहसीलदार रायसिंहनगर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वारिस प्रमाण पत्र 26.05.2017 के आधार पर विरास्तन नामान्तरकरण सं. 353 दिनांक 13.06.2018 दर्ज किया गया। जिसमें उर्मिला 239/4783 हिस्सा, कान्ता 239/4783 हिस्सा, मन्जू 239/4783 हिस्सा, लक्ष्मी 239/4783 हिस्सा पुत्रियान निकूराम, द्रोपती देवी पत्नी निकूराम 240/4783 हिस्सा, जयदेव 1195/4783 हिस्सा, दौलतराम 1196/4783, प्रेमराज 1196/4783 पि. अमरचन्द जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार दर्ज होकर दिनांक 14.06.2018 को स्वीकृत हुआ। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड में नाम चन्द्रकान्ता शर्मा अंकित हैं।

वादीया द्वारा वाद पत्र के साथ वारिस प्रमाण पत्र नगरपालिका गजसिंहपुर द्वारा जारी दिनांक 04.04.2014 में नाम चन्द्रकान्ता अंकित हैं। तथा सरपंच ठण्डी द्वारा दिनांक 27.05.2018 को जारी वारिस प्रमाण पत्र में नाम कान्ता अंकित हैं। जन आधार कार्ड में नाम चन्द्रकान्ता अंकित हैं। एवं अन्य वारिसान द्वारा स्टाम्प पत्र पर कान्ता एवं चन्द्रकान्ता एक ही महिला होने बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया [illegible] स्वीकार किया जाना उचित हैं। प्रकरण मात्र रिकार्ड दुरूस्ती का हैं, किसी [illegible] षणा अपेक्षित नहीं हैं। अतः वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार [illegible] खाता सं. 23 में दर्ज मु.नं. 42,48 की कुल 4.78[illegible] पुत्री निकूराम हि. 239/4783 जाति ब्राहमण सा. [illegible] की दुरूस्ती कर के स्थान पर चन्द्रकान्ता पुत्री निकूराम हि. 239/4783 जाति ब्राहमण सा. देह [illegible]र दर्ज करने के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिए जाते हैं। शेष अंकन यथावत रहेगा। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.07.08 17:59:25 IST
Reason: SelfAttested

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर